दिनांक 24.12.2016 को जनपद फैजाबाद में हुए भ्रमण के सम्बन्ध में आख्या

''आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट'' में वर्णित लेखा पुस्तकों को संज्ञान में रखते हुए जनपद फैजाबाद में वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लेखाभिलेखों का (आंतरिक नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए) अवलोकन किया गया।

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद फैजाबाद के संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक का कार्यकाल की सूची निम्नवत् हैः–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	वित्तीय वर्ष	पद नाम
1.	डा0 प्रमोद कुमार	2015–16 एवं 2016–17	मुख्य चिकित्साधिकारी
2.	डा0 आर0सी0 द्विवेदी	2015–16 एवं 2016–17	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
3.	श्री के0के0यादव	2015–16	वरिष्ठ सहायक (एन0एच0एम0 आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल सम्बन्धी लेखा कार्य)
4	श्री0 नरेन्द्र मौर्या	2016–17	वरिष्ठ सहायक (एन0एच0एम0 आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल सम्बन्धी लेखा कार्य)
5.	श्री0 हेम सोनी	2015–16 एवं 2016–17	वरिष्ठ सहायक (एन0एच0एम0 मिशन फलैक्सीपूल सम्बन्धी लेखा कार्य)
6.	श्री0 मो0 नवी	2015–16 एवं 2016–17	चीफ फार्मा0 (एन0एच0एम0 सम्बन्धी औषधि व सा0 भण्डार)

1. सर्वप्रथम रूदौली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के वित्तीय अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में निम्न अनियमिततायें सामने आयीं:–
    a. रूदौली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लॉक एकाउन्ट मैनेजर का पद रिक्त है। लेखा सम्बन्धी का कार्य ब्लॉक कम्युनिटी कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा देखा जा रहा है।

b. ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि लेखा सम्बन्धी कार्य पूर्व में लोवर डिवीजनल क्लर्क श्री बलवंत सिंह द्वारा देखा जाता था। जिनका स्थानांतरण माह जुलाई जनपद फैजाबाद हो गया था। बताया गया कि वे अपने साथ ब्लॉक के लेखा सम्बन्धी समस्त अभिलेख भी ले गये हैं।

c. रूदौली सी0एच0सी0 में कोई कैशबुक नहीं थी और न ही कोई बैंक स्टेटमेन्ट ही था।

d. रूदौली सी0एच0सी0 में अगस्त 2016 से कोई भी भुगतान नहीं हुआ है मात्र वेतन का भुगतान हो रहा है।

e. जे0एस0एस0के0 डाइट के अन्तर्गत डाइट रजिस्टर उपलब्ध था। डाइट रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि निम्न तिथियों में लाभार्थियों को डाइट देना दर्शाना दिखाया गया है। ....

f. जनपद स्तर से मैसर्स मर्शिता इन्फोकॉम बिजनेस द्वारा जे0एस0एस0के में डाइट उपलब्ध करायी जानी थी। मैसर्स मर्शिता इन्फोकॉम बिजनेस के तीन बिल उपलब्ध थे जो निम्न थेः–

   i. दिनांक 20.09.2016 से 19.10.2016 का रू0 30159.00 का बिल
      सुबह का नास्ता 376
      दोपहर का भोजन 384
      रात्रि का भोजन 229

   ii. दिनांक 10.08.2016 से 20.08.2016 का रू0 10881.00 का बिल
      सुबह का नास्ता 125
      दोपहर का भोजन 141
      रात्रि का भोजन 90

   iii. दिनांक 21.08.2016 से 19.09.2016 का रू0 32994.00 का बिल
      सुबह का नास्ता 382
      दोपहर का भोजन 429
      रात्रि का भोजन 268

   डाइट रजिस्टर में दिनारंक 21.08.2016 से 19.09.2016 तक 296 सुबह का नास्ता, 324 दोपहर का नास्ता एवं 173 रात्रि का भोजन प्रमाणित किया गया है। स्पष्ट है कि डाइट रजिस्टर में जो डाइट प्रमाणित की जा रही है उससे बहुत अधिक की डाइट क्लेम की जा रही है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त तीनों बिलों का पी0पी0ए0 जनरेट भी कर दी गयी थी और बैंक को भेज भी दी गयी थी। तीनों बिल

एम0ओ0आई0सी0 द्वारा प्रमाणित भी नहीं थे न ही बैंक रजिस्टर पर चढ़ाया ही गया था।

स्पष्ट है कि एम0ओ0आई0सी0 द्वारा भुगतान से पूर्व किसी भी वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है बिना बिल प्रमाणित किये पी0पी0ए0 एडवाइस जनरेट की जा रही है तथा डाइट रजिस्टर से उसका मिलान भी नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है कि पूर्व में भी इस प्रकार के गलत भुगतान होते रहे हैं।

जनपद फैजाबाद के कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी में जाँच के दौरान व्यय, क्रय प्रक्रिया तथा वित्तीय नियमों की अनदेखी से सम्बन्धित प्रकाश में आयी आपत्तियों का विवरण निम्नवत् है–

1. जनपद फैजाबाद के जिला महिला चिकित्सालय को एन0एच0एम0 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि रु0 67.17 लाख के सापेक्ष रु0 30.23 लाख का व्यय किया गया, जो कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय का 45 प्रतिशत है।

2. जनपद फैजाबाद के श्री राम अस्पताल पुरूष चिकित्सालय को एन0एच0एम0 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि रु0 11.86 लाख के सापेक्ष रु0 6.54 लाख का व्यय किया गया, जो कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय का 55 प्रतिशत है।

3. जनपद फैजाबाद के जिला पुरूष चिकित्सालय द्वारा रोगी कल्याण समिति मद में उपलब्ध धनराशि रु0 26.44 लाख के सापेक्ष शून्य व्यय किया गया है एवं जिला महिला चिकित्सालय द्वारा भी रोगी कल्याण समिति मद में उपलब्ध धनराशि रु0 9.08 लाख के सापेक्ष शून्य व्यय किया गया है।

4. श्री राम पुरूष चिकित्सालय द्वारा रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि रु0 9.31 लाख के सापेक्ष रु सापेक्ष शून्य व्यय किया गया है।

5. जनपद फैजाबाद द्वारा आर0सी0एच0 फलैक्सीपूल कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपलब्ध धनराशि रु0 24.4 लाख के सापेक्ष शून्य व्यय किया गया है।

6. जनपद फैजाबाद द्वारा आर0सी0एच0 फलैक्सीपूल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोक्योरमेन्ट फॉर इक्युपमेन्ट मद में उपलब्ध धनराशि रु0 21.33 लाख के सापेक्ष शून्य व्यय किया गया है।

7. जनपद फैजाबाद द्वारा आर0सी0एच0 फलैक्सीपूल कार्यक्रम के अन्तर्गत बायो मेडिकल वेस्ट मेनेजमेन्ट में उपलब्ध धनराशि रु0 65.59 लाख के सापेक्ष शून्य व्यय किया गया है।

8. जनपद फैजाबाद द्वारा आर0सी0एच0 फलैक्सीपूल कार्यक्रम के अन्तर्गत पी0ओ0एल0 मद में उपलब्ध धनराशि रु0 17.85 लाख के सापेक्ष 0.81 का ही व्यय किया गया है।

9. जनपद फैजाबाद द्वारा कमिटेड करायी गयी धनराशि रु0 779.02 लाख के सापेक्ष रु0 236.41 का व्यय किया गया है, जो कि कमिटेड करायी गयी धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का 30.35 प्रतिशत है।

10. जनपद फैजाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित 230 विभिन्न गतिविधियों में उपलब्ध धनराशि रु0 1548.20 लाख के सापेक्ष शून्य ही व्यय किया गया है, जो कि अत्यन्त गम्भीरता का विषय है।

11. वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत आर0सी0एच0 फलैक्सीपूल कार्यक्रम में ड्रग कन्ज्यूमेबल एण्ड डायग्नोस्तिक मद के अन्तर्गत टेण्डर के माध्म से क्रय की गयी सामग्रियों रु0 1,43,63,112.00 की क्रयमें वित्तीय अनियमित्तायें किये जाने की प्रबल सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्रय बाजार में वर्तमान दर से अत्यधिक दर से किया गया है।

12. वित्तीय वर्ष 2015–16 में मिशन फलैक्सीपूल के अन्तर्गत ड्रग के क्रय में धनराशि 30 9,32,960.00 मेसर्स शिव सर्जिकल को किया गया, मेसर्स शिव सर्जिकल से क्रय की गयी सामग्रियों की दर वर्तमान में बाजार में विद्यमान दर से अधिक है, किये गये भुगतानों में वित्तीय अनियमित्ता की प्रबल सम्भावना है।

13. वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0यू0एच0एम0 कार्यक्रम में दवाईयों एवम साज सज्जा, फर्नीचर इत्यादि पर व्यय धनराशि रु0 24,94,980.00 का भुगतान बिना किसी मार्केट सर्वे

किये कोटेशन एवम टेण्डर के आधार पर किया गया, किये गये भुगतान बाजार दर से अत्यधिक दर पर किया गया, जिसका निर्धारण आर0सी0 दर से भी नहीं किया गया। अतः उक्त भुगतान में वित्तीय अनियमित्ता किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

14. दवाईयों एवम साज सज्जा, फर्नीचर इत्यादि के बिलों के निरीक्षण में यह भी संज्ञान में आया कि क्रय मार्केट रेट से अधिक रेट पर किया गया है। कार्यालय द्वारा फर्म से प्राइस निगोसिएशन नहीं किया गया एवं न ही क्रय की गयी औषधियां के बाजार मूल्य का आधारभूत सर्वे किया गया। जोकि वित्तीय व्यवहार नियम विरूद्ध है। अतः प्रतीत होता है कि उपरोक्त फर्मों को अप्रत्यक्ष लाभ दिये जाने एवं वित्तीय अनियमितता करने के उद्‌देश्य से मार्केट रेट से अधिक रेट पर क्रय की गयी है। रैण्डम आधार पर कतिपय विवरण उदाहरणार्थ निम्नलिखित हैः–

SN	PARTICULARS	QTY/UNIT	BILL RATE	AMOUNT	MARKET RATE	DIFFERENCE	RECOVERY AMOUNT
1	DIS. SYRINGE 5 ML	38000	6.50	247,000.00	1.45	(5.05)	(191,900.00)
2	PLASTIC CHAIR	66	900.00	59,400.00	450.00	(450.00)	(29,700.00)
3	DIGITAL CAMERA	11	4,500.00	49,500.00	3,800.00	(700.00)	(7,700.00)
4	FILING CABINET	3	10,000.00	30,000.00	7,200.00	(2,800.00)	(8,400.00)
5	STEEL ALMIRAH	11	9,200.00	101,200.00	7,500.00	(1,700.00)	(18,700.00)
6	OFFICE TABLE	33	6,000.00	198,000.00	4,200.00	(1,800.00)	(59,400.00)
7	OFFICE CHAIR STEEL	44	4,800.00	211,200.00	3,200.00	(1,600.00)	(70,400.00)
8	BLOWER/ROOM HEATER	22	2,200.00	48,400.00	1,500.00	(700.00)	(15,400.00)
9	CEELING FAN	22	1,900.00	41,800.00	1,350.00	(550.00)	(12,100.00)
10	MUCUS EXTRACTOR	25000	28.00	700,000.00	15.50	(12.50)	(312,500.00)
11	CORD CLAMP	75000	8.00	600,000.00	1.65	(6.35)	(476,250.00)
12	FOLEY'S CATHER	20900	46.00	961,400.00	18.50	(27.50)	(574,750.00)
13	SURGICAL GLOVES	70000	22.00	1,540,000.00	6.25	(15.75)	(1,102,500.00)

14	ADHASSIVE TAPE	345	500.00	172,500.00	225.00	(275.00)	(94,875.00)
15	IV SET	10000	9.00	90,000.00	2.50	(6.50)	(65,000.00)
16	DIS. SYRINGE 3 ML	32000	4.00	128,000.00	1.25	(2.75)	(88,000.00)
17	IV CANNULA	19000	22.00	418,000.00	12.50	(9.50)	(180,500.00)
18	PREGNANCY TEST KIT	45000	18.00	810,000.00	12.50	(5.50)	(247,500.00)
19	URINE CONTAINER	60000	3.00	180,000.00	1.25	(1.75)	(105,000.00)
20	MUCUS SUCEER	50000	28.00	1,400,000.00	18.50	(9.50)	(475,000.00)
21	HEMOGLOBIN METER	33000	19.00	627,000.00	11.50	(7.50)	(247,500.00)
22	HBsAG CARD	31000	18.00	558,000.00	9.85	(8.15)	(252,650.00)
23	URINE TEST STRIPS	3000	390.00	1,170,000.00	185.00	(205.00)	(615,000.00)
24	PRICKING NEEDLE	50000	1.70	85,000.00	0.50	(1.20)	(60,000.00)
25	N/10 HCL 500 ML	1100	110.00	121,000.00	85.00	(25.00)	(27,500.00)
26	HIV CARD	5500	105.00	577,500.00	85.00	(20.00)	(110,000.00)
Amount to be Recovered							**(5,448,225.00)**

15. उपरोक्त से स्पष्ट है कि जनपद फैजाबाद में दवाईयों एवम साज सज्जा, फर्नीचर इत्यादि के बिलों के भुगतानों के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ए0सी0एम0ओ0–आर0सी0एच0/वरिष्ठ सहायक एवं चीफ फार्मा0 पूर्ण रूप से दोषी प्रतीत होते है अतः उचित होगा कि रू0 54,48,225.00 की वसूली करते हुए उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

16. मैसर्स ओम सर्जिकल इंडस्ट्रीज के बिल के निरीक्षण में यह संज्ञान में आया है कि क्रय की गई कॉटन का आर्डर 500 ग्राम का दिया गया था जबकि तौलने पर पाया गया कि फार्म द्वारा 450 ग्राम कॉटन की सप्लाई की गई है। साथ ही कॉटन रोल पर लेबल 500 ग्राम का लगाया गया था। फार्म द्वारा कॉटन रोल विश्लेषण प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया है जिससे गुणवत्ता भी संदिग्ध हैं। महानिदेशालय के आदेश संख्या

20फ / 889 / 155 / दिनांक 10.01.1996 के अनुसार सर्जिकल ड्रेसिंग से सम्बन्धित सामान औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के अन्तर्गत औषधियों के श्रेणी में आता है तथा उक्त अधिनियम की सूची संख्या ।। के अनुसार उनका मानक निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार फर्म के बिल पर बैच संख्या उत्पादन तिथि दिनांक कालातीत तिथि आदि का पूर्ण विवरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार कॉटन रोल की आपूर्ति में फर्म द्वारा F-II Schedule के मानक का पालन न किया जाना प्रकाश में आया।

17. जिला क्रय समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत औषधियों एवं सर्जिकल सामान का क्रय मांग सूची के आधार पर न करके अधिक मात्रा में क्रय किया गया है।

18. जिला क्रय समिति के सदस्यों के द्वारा अधिकतर बिलों एवं इन्डेन्टों पर हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे है जोकि अनुशासनहीनता एवं वित्तीय नियमों का उल्लधंन की श्रेणी में आता है।

19. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति में अनुमोदन उपरान्त उपयुर्क्त फर्मा द्वारा कार्य किया जाना चाहिए था। परन्तु जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन न लेकर सीधे तौर पर उपयुर्क्त फर्मा द्वारा कार्य करा लिया गया है। जोकि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

20. वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत मिशन फलैक्सीपूल कार्यक्रम के अन्तर्गत कमिटेड करायी गयी धनराशि रु0 1,15,889.00 आर0एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम के अर्न्तगत विविध सामग्रियों का कय किया गया जो कि वित्तीय नियमों का उल्लघंन है।

21. वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रिन्टिंग कार्य हेतु मिशन फलैक्सीपूल से रु0 6,72,008.00 का भुगतान केन्द्रीय पंचायत उघोग, फैजाबाद को किया गया, जिसमें बाजार में वर्तमान

विघमान रेट से अत्यधिक दर पर क्रय किया गया। कार्य की पुष्टि गुणवत्ता के आधार पर न कर, भुगतान किया गया प्रिन्टिंग करायी गयी सामग्रियों का स्टॉक बुक में अंकन किये बिना ही वितरण किया गया, जो इस बात की पुष्टि करता है, कि या तो भुगतान संदिग्ध है या वित्तीय अनियमितता की प्रबल सम्भावना है।

22. आर0बी0एस0के0 वाहन में टेण्डर में उल्लिखित गाड़ियों के अलावा अन्य वाहनों को लगाया गया, जिसकी कोई भ्झी सूचना डी0एच0एस0 को नहीं दी गई न ही कोई पत्राचार इस हेतु किया गया। इसमें भी वित्तीय अनियमितता होने की सम्भावना है। **(सूची संलग्न)**

- उपरोक्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर सेवा प्रदाता द्वारा लॉग बुक नहीं बनाई गई है जिसके कारण भुगतानित बिलों के सही होने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है एवं यह वित्तीय नियमों की घोर अवहेलना है।

- उपरोक्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर वाहनों से सम्बन्धित दस्तावेज जाँच करने पर अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में आया कि निविदा फाइल में अधिकतर वाहनें के दस्तावेज़ जैसेकि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, टैक्सी परमिट, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, वाहन बीमा, पोल्लुशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस संलग्न नहीं थे, जोकि नियमानुसार अनिवार्य होते है।

23. वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में आर0सी0एच0 फलैक्सीपूल कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0एस0एस0के मद दवाईयों के क्रय हेतु उपलब्ध कराये बजट से ई0डी0एल0 पर व्यय नहीं किया गया। केवल कन्ज्यूमेबल एवं डाइग्नोस्टिक पर अधिकांशतः व्यय किया गया है, जो कि इस बात का द्योतक है कि उच्चतम् दर पर कमीशन प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है।

24. स्टेट बजट एवं एन0एच0एम0 बजट में दवाईयों के क्रय कर उनका स्टॉक बुक में अंकन करने में भिन्नता प्रकट नहीं की गयी है, इससे यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 को निर्गत की गयी दवाईयाँ एन0एच0एम0 बजट की है अथवा स्टेट बजट की।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के उपलब्ध कराये गये समस्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में सफाई व्यवस्था के लेखा अभिलेखों की रैण्डम सम्प्रेक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनसे निम्नांकित सम्बन्धित लेखाभिलेख अवलोकित किये गये, जो निम्नवत् हैः–

1. निविदा पत्रावली की जाँच में पाया गया है कि उक्त फर्म मैसर्स कृष्ण कुमार द्वारा श्रम आयुक्त संगठन, उ0प्र0 द्वारा मानव श्रम की आपूर्ति के लिए कान्ट्रैक्ट लेकर (रेगुलेशन एण्ड एनोलिशन) एक्ट 1970 की धारा–7 की उपधारा–2 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उधीन पंजीकरण नहीं किया गया। अतः मैसर्स एस0एम0 रफीक एण्ड संस का श्रम विभाग में पंजीकरण वैध नहीं था, उसके बावजूद भी निविदा स्वीकृत करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

2. निविदा की शर्तानुसार सेवा प्रदाता को चिकित्सालय की साफ–सफाई के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए साथ ही साथ सेवा प्रदाता का जनपद स्तर पर स्वतंन्त्र कार्यालय/कार्यशाला स्थापित हो, एवं पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन से सम्बन्धित उपकरणों की उपलब्धता हो। इस आशय का प्रमाण फोटो ग्राफ कर्मचारियों का पूर्ण विवरण निविदा पत्र के साथ सलग्न करना अनिवार्य होगा। मैसर्स कृष्ण कुमार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा की शर्तो को पूर्ण नहीं होने के उपरान्त भी सेवा प्रदाता को की साफ–सफाई का कार्य टेंडर कमेटी द्वारा आवंटति कर दिया गया। निविदा के नियमों की अनदेखी कर अपूर्ण शर्तो पर मैसर्स कृष्ण कुमार को आवंटति करना उचित नहीं है। प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

3. मैसर्स कृष्ण कुमार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी वर्कर्स की सूची में कोई भी लिखित विवरण नहीं दिया गये थे।

4. मैसर्स कृष्ण कुमार द्वारा आपने कर्मचारियो को दिये जा रहे मानदेय से ई0पी0एफ0/इन्श्योंरेन्स (कर्मचारी बीमा योजना) से कटौती की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी साथ ही साथ धनराशि के नियमानुसार जमा कराये जाने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह के सर्विस टैक्स की अनुमन्य धनराशि के जमा से सम्बन्धित प्रमाणित प्रति भी कार्यालय को प्राप्त नहीं कराई गई थी। इस कारण किये गये भुगतानों में धनराशि में हेरफेर की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

5. समस्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में सफाई व्यवस्था हेतु मास्टर रोल नहीं बनाया गया है। गाइडलाइन्स फॉर फाइनेंसियल मैनेजमेंट के अनुसार मास्टर रोल बनाया जाना अति आवश्यक है। उपरोक्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा मास्टर रोल नहीं बनाया गया जोकि गाइडलाइन्स फॉर फाइनेंसियल मैनेजमेंट के नियम विरुद्ध है।

6. क्लीनिंग एवं स्वीपिंग मद में वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत बीजकों का भुगतान बिना सर्पोटिंग डाक्युमेन्ट(मास्टर रोल) को सत्यापन किये बिना भुगतान कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के उपलब्ध कराये गये समस्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में बायोबेस्ट के लेखा अभिलेखों की रैण्डम सम्प्रेक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये जिनसे निम्नांकित सम्बन्धित लेखाभिलेख अवलोकित किये गये, जो निम्नवत् है:–

1. बायो–मेडिकल वेस्ट में माह दिसम्बर 2016 में धनराशि रु0 23,59,448.00 जिला स्तरीय इकाईयों तथा ब्लॉक स्तरीय इकाईयों को हस्तान्तरित किया गया। बी0एम0डब्लू हेतु टेण्डर 2013–14 में किया गया था, जिसका रिनुअल कर वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 में उपयोग में लाया जा रहा है। नवीनीकरण हेतु डी0एच0एस0 से

अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। टेण्डर पत्रावली में वांछित अभिलेख अपूर्ण पाये गये।

2. उपरोक्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया गया जिसके कारण गंभीर वित्तीय अनियमिततायें परिलक्षित हुई हैं।

3. निर्देशुसार सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर दिन के आधार पर अद्यतन जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन रजिस्टर नहीं बनाया गया है। जोकि नियमों की अवहेलना है।

4. उपरोक्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यपंजी हीं बनाई गई है जिसके कारण भुगतानित बिलों के सही होने का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है एवं यह वित्तीय नियमों की घोर अवहेलना है।

5. उपरोक्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे ज्ञात हो सके कि उपरोक्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर सेवा प्रदाता द्वारा संक्रामक कचरे के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया वाहनों में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का पालन नहीं किया गया।

6. उपरोक्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर सेवा प्रदाता द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु नियमानुसार अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई , जोकि हर साल की 30 जून से पहले प्रस्तुत करना होती है।

7. उपरोक्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा अपने चिकित्सालय में जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण प्रणाली का नियमित अनुश्रवण नहीं किया है। न ही रिपोर्ट प्रस्तुत की है।